

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार पटना।

सूचना

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याता के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय पत्रांक- संविदा नियोजन 22/2019/863 दिनांक-07.03.2019, 22/2019/873 दिनांक-08.03.2019 एवं 22/2019/880 दिनांक- 08.03.2019 द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में प्राप्त आवेदन पत्रों में स्वीकृति योग्य पाये गये एवं स्वीकृति योग्य नहीं पाये गये अभ्यर्थियों की संकायवार औपबंधिक सूची का प्रकाशन :-

1. विभागीय वेब-साईट प्रकाशित औपबंधिक सूची के संबंध में किसी अभ्यर्थी को यदि कोई आपत्ति हो तो ई-मेल द्वारा [recruitment.dst.bihar@gmail.com](mailto:recruitment.dst.bihar@gmail.com) पर अपनी आपत्ति कारण एवं साक्ष्य सहित सूचना प्रकाशन की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर ऑन लाईन दर्ज कर सकते हैं।
2. स्वीकृति योग्य पाये गये औपबंधिक सूची में सम्मिलित होने का अर्थ संविदा नियोजन की गारण्टी नहीं है।
3. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 12534 दिनांक 17.09.2018 एवं 2401 दिनांक-18.07.2007 में निहित शर्तों के आलोक में संविदा नियोजन किया जायेगा।
4. शेष रिक्तियों को भरने हेतु आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों को मेधा के घटते क्रम में बुलाया जा सकता है।
5. संविदा पर यह नियोजन, न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न मामलों के निर्णय से आच्छादित होगा।

  
9-7-19

संयुक्त सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार पटना।